1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी/टि0ए0/2783/2003/हनुमानगढ** **लीलूराम बनाम सुरजाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-05-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री ब्रह्मानंद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी श्री सतबीर सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा दिनांक 17-05-2003 को प्रकरण संख्या 64/2002 सुरजाराम बनाम लिलूराम वगैरा में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि गैर निगराकार द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत रौही मौजा खचवाना तह0 भादरा स्थित आराजी के सम्बन्ध में, प्रतिवादी/निगराकारान के विरुद्ध वादपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र में वर्तमान निगराकारान की ओर से आपत्ति अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की कि वादी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 21-11-1946 के आधार पर भूमि प्राप्त होना बताते हुये दावा दायर किया है, वादी को निर्णय व डिक्री के आधार पर वाद हेतुक नहीं हुआ है और ऐसी डिक्री को आधार बना कर दावा पेश नहीं किया जा सकता है। पेश किए गए निर्णय व डिक्री में वर्णित खसरा नम्बरों व रकबे का मौजूदा किला नम्बरों से मेल नहीं होता है। भूमि बैंक में रहन रखी हुई है, अतः भारमुक्त किए बिना आगे हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। दावा वादी बेरुन मियाद पेश किया है, अतः प्राथमिक आपत्ति के आधार पर दावा खारिज किया जाये। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन रीजण्ड व नॉन स्पीकिंग निर्णय बेहद संक्षिप्ति तरीके से पारित करते हुये अविधिक रुप से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है जब कि प्रकरण में प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विधिवत रुप से विवेचन करते हुये आपत्ति के बिन्दुओं को तय किया जाना चाहिए था, अतः निगरानी	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/2783/2003/हनुमानगढ</u>** **<u>लीलूराम बनाम सुरजाराम</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाये और प्रार्थना आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी–वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की प्राथमिक आपत्ति के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त आपत्ति का हमारे द्वारा विधिवत रुप से जबाब प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि पूर्ववर्ती निर्णय व डिक्री वाद के साथ प्रस्तुत की गई हैं, मौजूदा रिकार्ड गलत हो जाने से काज आफ एक्शन हुआ है। प्रश्नगत भूतिम पर वादीगण का भौतिक रुप से कब्जा काश्त है और वादीगण अपने खेतों को मौके पर पहचानते हैं। बैंक में रहन भी प्रतिवादीगण ने अपना हिस्सा किया है, हमने कोई रहन नहीं किया है, हम इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के तहत ही इस आपत्ति को खारिज किया है। फलतः निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना न्याय संगत नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है जो कि निम्न प्रकार से हैं :– Order 7 Rule 11. Rejection of plaint— The plaint shall be rejected in the following cases:— (a) where it does not disclose a cause of action; (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/2783/2003/हनुमानगढ</u>** **<u>लीलूराम बनाम सुरजाराम</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law : उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार क– वाद हेतुक प्रकट नहीं करने, ख– अनुतोष का मूल्यांकन कम करने, ग–अपर्याप्त स्टाम्प पर वादपत्र लिखा गया हो, घ–वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, ड– वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना तथा, च– नियम 9 की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्र को खारिज किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.बी.जे. (19) पेज 13 पर उद्धरित न्याय दृष्टान्त पार्शव नाथ जैन मंदिर ट्रस्ट बनाम अवतार सिंह में स्पष्ट किया है कि प्रकरण में ट्रायल करने से पूर्व कभी भी न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2012 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 734 में मत प्रकट किया है कि न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर आदेश 7 नियम 11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के न्यायालय में वाद संख्या 19/46 दिनांक 21–11–1946 को मुताबिक राजीनामा डिक्री किया गया था। इस डिक्री में प्रतिवादीगण के दादा मनीराम को 53 बीघा खातेदारी साबिक नम्बर 253 में प्राप्त हुई थी किन्तु अविधिक रुप से अपने नाम 42 बीघा पुख्ता भूमि दर्ज करा ली। इस प्रकार वादपत्र में वादी द्वारा अनुतोष चाहा कि इनके नाम अविधिक रुप से दर्ज की गई भूमि चक 4 डीपीएन के मु0नं0 48 के किला नम्बर 6 से 9 की 4 बीघा, 11 से 15 की 5 बीघा, किला नम्बर 20 की 1 बीघा कुल 10 बीघा भूमि का वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाये। स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से वाद संख्या 19/46 दिनांक 21–11–1946 को आधार बनाते हुये यह वाद दायर किया गया है। निगराकारान द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वादपत्र में जो आपत्ति आदेश 7 नियम 11, व्यवहार	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/2783/2003/हनुमानगढ</u>** **<u>लीलूराम बनाम सुरजाराम</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के तहत प्रस्तुत की हैं उसके अनुसार इन सभी बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण आवश्यक था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निगरानीधीन निर्णय में इन बिन्दुओं को विवेचित नहीं किया गया है और बेहद संक्षिप्त तरीके से नॉन रीजण्ड व नॉन स्पीकिंग निर्णय पारित किया है जब कि उक्त बिन्दुओं पर विधिक प्रावधानों के तहत विस्तृत परीक्षण आवश्यक था। नॉन–स्पीकिंग व नॉन–रीजण्ड आदेश के सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 842 पर माननीय उच्च न्यायालय ने सकारण पारित नहीं किये गये निर्णय को संवहन से होना नहीं माना है, आर.आर. टी. 2014 (1) पेज 404 के अनुसार आदेश का रीजण्ड व स्पीकिंग होना भी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त बिन्दुओं के विधिसम्मत तरीके से निस्तारण हेतु, प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों पर स्पष्ट रुप से प्रृथक से तनकियात कायम कर इन बिन्दुओं को साक्ष्य व शहादत के आधार पर तय करना आवश्यक था, जिसका कि निर्णय में अभाव रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश अस्पष्ट एवं अविवेचित होने से, समर्थन योग्य नहीं है। फलतः निगरानी आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा दिनांक 17–05–2003 को प्रकरण संख्या 64/2002 सुरजाराम बनाम लिलूराम वगैरा में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर उपरोक्त विवेचन अनुसार पृथक से कानूनी तनकी कायम करें और तद्नुसार उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये नियमों व प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, आदेश 7 नियम 11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के घटकों के तहत व्याख्या करते हुये रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 22/6/2018 को उपखण्ड अधिकारी, भादरा के न्यायालय में वास्ते अग्रिम कार्यवाही उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	